

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नगर पालक निगम ने कए व भन्न आयोजनए

रैग पकर्स महिलाओं को सुरक्षा साधन उपलब्ध कराते हुए सम्मानित कया गया

मा० मुख्यमंत्री श्री शवराज सिंह जी चौहान के उद्बोधन को देखा व सुना रतलाम 10 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर नगर पालक निगम ने महिलाओं के सम्मान में अनेक आयोजन कए। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश और मार्गदर्शन में आज सुबह जहां एक और स्वच्छता दौड़ में सैकड़ों खला डियों ने नगर के प्रमुख मार्गों पर स्वच्छता का संदेश दिया वही शाम को नारी शक्ति के सम्मान को लेकर कार्यक्रम आयोजित कए गए। इस मौके पर रैग पकर्स सहित यहां मौजूद महिलाओं को आदर पूर्वक सम्मान कया गया।

माननीय मुख्यमंत्री श्री शवराज सिंह जी चौहान द्वारा भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिये उद्बोधन का सीधा प्रसारण नगर निगम सभागृह में कया गया जिसे निगम अधिकारीए कर्मचारीए सफाई संरक्षकए स्व सहायता समूह व रैग पकर्स महिलाओं ने देखा व सुना।

नगर निगम सभागृह में सोमवार शाम नारी शक्ति के सम्मान में विशेष आयोजन कया गया। जिसमें स्वच्छता दीदीए रिंग पकर्सए महिला अधिकारी-कर्मचारी और सफाई संरक्षक बहने मौजूद रही।

उपायुक्त श्री विकास सोलकीए श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवालए स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए स्वच्छता कनसलटेंट श्री प्रतीक मश्राए उपयंत्री श्री अनवर कुरेशीए सटी मैनेजर श्री कपील मारोठियाए श्री नितिन तिवारी उपस्थित में आयोजित इस नारी सम्मान समारोह में आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कहा क प्राचीन भारत में नारी के सम्मान की बात को देवताओं के वास से जोड़ा गया था।

यदि सभी लोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नारी सुरक्षाए सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में कए जा रहे प्रयासों के साथ जुड़ेंगे तो हम लोग नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे।

श्री झारिया ने कहां क जहां नारी होती है वहां अनुशासन रहता है। आज की नारी कसी भी कार्य को करने में पीछे नही रहती है। अगर वो ठान ले तो पहाड़ से भी रास्ता निकाल सकती है। आयुक्त ने यहां मौजूद माता-बहनों से रतलाम शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत नम्बर-1 बनाने का आव्हान करते हुए कहां क शहर का नाम देश में ऊंचा होगा तो पूरे शहर का मान बढ़ेगा। इस लए सभी सकारात्मक भाव से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के प्रयास जारी रखे।

डप्टी कमिश्नर श्री विकास सौलकी ने स्वागत भाषण देते हुए महिलाओं के योगदान को दोहराया और कहां क महिलाएं दो परिवारों को जोडकर रखती है और संवारती है। समाजप्रदेश और देश में हर जगह महिलाओं का सम्मान जरूरी है।

कार्यक्रम में पधारे अशोक वाल्मीक अनंत (पूर्व सदस्य राज मंत्री दर्जा प्राप्त) राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ (ट्रेड युनियन) ने मौजूद महिलाओं को संबोधित करते हुए कहां क आज महिलाओं का योगदान सडक की सफाई से लेकर आसमान में उडने वाले हवाई जहाज तक है। महिलाएं अपने अधिकारों को पहचानेए हक के लए आगे और सामाजिक कुरितियों का त्याग कर शिक्षा से करीब का नाता रखे।

कार्यक्रम का संचालन शैलेन्द्र गोठवाल ने कया और आभार प्रदर्शन श्री मनीष तिवारी ने माना।

महिलाओं को सम्मानित कया गया

नारी सम्मान के लए आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता दीदीए रिंग पकर्सए स्वयं सहायता समूह की सदस्यों और निगम कर्मी महिलाओं का सम्मान प्रशस्ति पत्र प्रदान कया गया। रिंग पकर्स महिलाओं को

कचरा पृथकीकरण के दौरान उपयोग में आने वाले सुरक्षा साधन एपीनए गम बूटए कैपए हैण्ड ग्लब्सए साड़ी आदि का वतरण किया गया।

दौड़ कर बताया स्वच्छता का महत्व

सोमवार सुबह शहर के साईंस एण्ड आर्ट्स कालेज मैदान में मैराथन दौड़ का आयोजन रखा गया जिसमें शा मल सैकड़ों खला डियों ने दौड़ कर शहर के व भन्न मार्गों पर नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दिया। खला डियों को प्रमाण पत्र व उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया।

पावर हाउस रोड पर वॉल पेंटिंग से बनी टे<sup>n</sup> का हुआ नामांकरण

टे<sup>n</sup> का नाम है पद्मश्री डॉ० लीला जोशी एक्सप्रेस

रतलाम 10 मार्च। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत रतलाम शहर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने के तहत व भन्न कार्यों के साथ नगर के व भन्न स्थानों पर वॉल पेंटिक का कार्य किया जा रहा है।

इसी कार्य के तहत जिसके तहत पावर हाउस रोड स्थित रेलवे की बाउण्ड्रीवॉल पर वॉल पेंटिंग से सुन्दर टे<sup>n</sup> बनाई गई जिसका अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसका नामांकरण पद्मश्री डॉ० लीला जोशी के नाम पर डॉ० लीला जोशी एक्सप्रेस रखा गया है।

मुखर्जी नगर की दुकानों की रजिस्ट्री प्रारंभ

रतलाम 10 मार्च। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुखर्जी नगर में निर्मित ई.डब्ल्यू.एस. फ्लेट के नीचे ग्राउण्ड फ्लोअर पर निर्मित दुकानों में से ऑन लाईन निवदा के माध्यम से वक्रय की गई दुकानों की नगर निगम द्वारा रजिस्ट्री कराना प्रारंभ कर दी है।

जिसके तहत आज दुकान क्रमांक एस-5 जो क श्री गोपाल परमार पता अमृतलाल परमार निवासी 61 मुखर्जी नगर को आवंटित हुई है संबंधित द्वारा संपूर्ण राश जमा कराये जाने पर नगर निगम द्वारा संबंधित को दुकान की रजिस्ट्री संपादित करा दी गई है।

इसी तरह अन्य निवदाकारों द्वारा भी संपूर्ण राश जमा कराने पर नगर निगम द्वारा तत्काल रजिस्ट्री संपादित कराई जावेगी।

माहेश्वरी डस्पोजल से 350 कलो पॉलीथीन जब्त

5000 रूपये का कया जुर्माना

गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 15 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित

उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

रतलाम 10 मार्च । षासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित कये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा धानमण्डी स्थित माहेष्वरी डस्पोजल पंहुचा जहां 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की 350 कलो पॉलीथीन पाई गई निर्देशानुसार 350 कलो पॉलीथीन को जब्त कया जाकर संबंधित पर 5000 का जुर्माना कया गया।

इसके अलावा ईमरानए इनायत स्टोर व सुनील जावरा रोडए अमीन सागोद रोड पर 500.500ए राजेश गीता मंदिर रोड पर 250ए वजय त्रिपो लया गेट व शांतिलाल महु रोड पर 100ए षारदाबाई बाजना बस स्टैण्ड व एक अन्यए अर्जून त्रिपो लया गेटए रोहन जेल रोड षैलेन्द्रए राहूलए व एक अन्य सैलाना बस स्टैण्ड पर 50.50 रूपये का जुर्माना कर भवश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जीए फल-फुरट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000रूपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर के नागरिकए दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है क वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़े उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबंधतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अभयान निरंतर जारी रहेगा।

वार्ड 3ए 7ए 8ए 17ए 18 व 19 में जीरो वेस्ट का कार्य निरंतर जारी जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिकों का मल रहा भरपुर सहयोग रतलाम 10 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 3ए 7ए 8ए 17ए 18 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ।

वार्ड क्रमांक 7ए 8ए 17 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने की सफलता व नागरिकों के उत्साह को देखते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने जीरो वेस्ट वार्ड में 2 वार्ड ओर शामिल कये जिसके तहत वार्ड 3 व 18 में 08 मार्च सोमवार से कार्य प्रारंभ कया गया जो 100 प्रतिशत सफल रहा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने आयोजित बैठक में जीरो वेस्ट वार्डों में कये जा रहे कार्यों की नियुक्त वार्ड पर्यवेक्षकों से सल सलेवार जानकारी प्राप्त कर निर्देशत कया क वार्डों की सड़कों एवं नाले-नालयों का कार्य युद्ध स्तर पर कया जाये साथ ही रात्रीकालन सफाई के कार्य में पुरी निगरानी रखी जाये।

उन्होंने निर्देशत कया अगर सभी टीम भावना के साथ कार्य करेंगे तो रतलाम को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाने से कोई नहीं रोक सकता इस हेतु सफाई संरक्षक 8 घन्टे अपने कर्तव्य स्थल पर सफाई का कार्य संपादित

करें। साथ ही शहर के सार्वजनिक शौचालयए मुत्रालयों की नियमत धुलाईए सफाईए कीटनाशक दवा छिड़कावए प्रकाशए पानी आदि की व्यवस्था रखी जाये।

इसके अलावा उन्होंने निर्देशत कया क स्पॉट फाईन दल द्वारा अब तक जब्त की गई 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को जुलवानिया टे<sup>अ</sup> चंग ग्राउण्ड पर ले जाकर नष्ट कया जाये।

जीरो वेस्ट वार्ड 3ए 7ए 8ए 17ए 18 व 19 में 2.2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पहुंचे वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पकर्स महिलाए आई.ई.सी. टीम के सदस्यए वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरों पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित कये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित कया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाएँ अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे<sup>अ</sup> चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिकए रबरए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एपीनए ग्लबसए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये हैं। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशत कया क नगर को गारबेज फ्री सटी बनाने के लये नगर में कहीं भी कचरा स्थान नहीं बने इसका विशेष ध्यान रखा जाये तथा खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना कये जाने कार्यवाही में तेजी लाई जाये। इसके अलावा उन्होंने निर्देशत कया क सभी सड़को की स्वी पंग कराई जाये साथ ही व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन स्वी पंग करवाई जाये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री वकास सौलकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए स्वच्छता कनसलटेंट श्री प्रतीक मश्राए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए श्री एम.के. जैनए श्री सत्यप्रकाश आचार्यए निगम सचिव श्री जसवन्त जोशीए स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडतए बी.एल. चौधरीए राजेश पाटीदारए वकास मरकामए ब्रजेश कुशवाहए दीक्षा निजामपुरकरए सद्धार्थ सोनीए श्रीमती अनिता ठाकुरए स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारीए सटी मैनेजर श्री कपील मारोठियाए श्री नितिन तिवारीए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़ेए उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगायाए श्री अनील पाराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षकए दरोगा आदि उपस्थित रहे।

सायर चबुतरा के पास 12 मार्च को लगोगा निगम का बकाया वसूली श वर नागरिकों ने 50ए56ए144६ संपत्तिकर व 11ए33ए350६ जलकर जमा कराया रतलाम 10 मार्च । नागरिकों की सुवधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस शुल्क एवं वकास षाखा से संबंधित भवन की कष्ट तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें। निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000६ व जलकर 6ए000६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000६ व जलकर 55ए775६ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विऱि में संपत्तिकर 2ए38ए000६ व जलकर 49ए010६ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000६ व जलकर 43ए670६ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000६ व जलकर 29ए280६ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000६ व जलकर 19ए850६ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000६ व जलकर 48ए220६ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000६ व जलकर 14ए000६ए कस्तुरबा नगर ष वर में

संपत्तिकर 5ए47ए000६ व जलकर 86ए540६ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में  
संपत्तिकर 1ए02ए000६ व जलकर 3ए76ए905६ए डोंगरे नगर ष वर में  
संपत्तिकर 1ए82ए500६ व जलकर 76ए470६ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर  
68ए000६ व जलकर 47ए595६ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर  
1ए17ए000६ व जलकर 22ए680६ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644६  
व जलकर 55ए320६ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000६ व जलकर  
59ए500६ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144६ व जलकर  
6ए71ए025६ए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000६ व जलकर 19ए000६ए  
दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000६ व जलकर 64ए780६ए बोहरा  
बाखल ष वर में संपत्तिकर 4ए92ए000६ व जलकर 66ए715६ए रामगढ ष वर  
में संपत्तिकर 1ए60ए000६ व जलकर 34ए340६ए लक्कड़पीठा प्याऊ के पास  
ष वर में संपत्तिकर 2ए30ए000६ व जलकर 44ए230६ए धानमण्डी ष वर में  
संपत्तिकर 2ए07ए000६ व जलकर 33ए940६ए जूनि कोर्ट करण टॉ कज ष वर  
में संपत्तिकर 1ए84ए000६ व जलकर 56ए350६एआनन्द कालोनी ष वर मे  
संपत्तिकर 86ए000६ व जलकर 35ए140६ए प्रताप नगर ष वर में संपत्तिकर  
1ए16ए000 व जलकर 57ए670६ए महावीर नगर ष वर में संपत्तिकर 69ए000६ व  
जलकर 21ए185६ए पैलेस रोड ष वर में संपत्तिकर 3ए50ए000६ व जलकर  
66ए865६ की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांे ने अब तक आयोजित  
ष वरों मेें 50ए56ए144६ संपत्तिकर व 11ए33ए350६ जलकर की रा ष जमा  
कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24ए 25  
व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक  
43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड  
क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड  
क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंद्रल बैंक के  
पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए  
वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड



दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।।

अनुपस्थित 27 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 10 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के व भन्न वार्डों में 09 मार्च मंगलवार को बिना सूचना के 27 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेश्यों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

722 मवेश्यों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 10 मार्च । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेश्यों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेश्यों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेश्यों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 09 मार्च तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 722 मवेश्यों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न

गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 09 मार्च सोमवार को अलकापुरी व महू रोड से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राश रुपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह ए झोन प्रभारी श्री करण चौहान ए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त

137 दिनों में 163 वॉल्व व 906 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 10 मार्च । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 09 मार्च तक 163 वॉल्व व 906 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

‘ रतलाम जलशक्ति अभियान ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 09 मार्च मंगलवार को जवाहर नगर झाला चक्की के पास ए मोतीनगर ए कस्तुरबा नगर ऑटो स्टैंड व शक्ति नगर में पाईप लाईन लीकेज दुरस्त कये जाने के साथ ही अलकापुरी टैगोर कालोनी में नया वॉल्व लगाया गया व हरमाला पम्प हाउस के 2 वॉल्व दुरस्त कये गये।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास ए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य ए उपयंत्री श्री सुहास पंडत ए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव ए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

गंदगी करने वालो पर स्पॉट फाईन हेतु दल का गठन

नागरिक भी गंदगी करने वालो की सूचना दल को दें

रतलाम 10 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में ए नाले-नालयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रय ए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहरा ए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456 ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812 ए आकाष षन्दे ए मनोज झांझोट ए राकेष ललावत दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में ए नाले-नालयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रय ए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कें गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 10 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के

पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 10 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें। उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 10 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने

गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात् पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/10ण03ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.